रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 684] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 15, 2014/फाल्गुन 24, 1935
No. 684] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 15, 2014/PHALGUNA 24, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2014

का.आ. 806(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप–धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3470(अ), तारीख 22 नवम्बर, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप–खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 के 4.200 कि.मी. से 20.900 कि.मी. (अहमदाबाद–गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा सेक्शन) तक के भू–खंड के निर्माण (चौडा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप–धारा (3) के अधीन तारीख 14 दिसम्बर, 2013 को "संदेश" और "दि इन्डियन एक्सप्रेस" दोनों समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नही हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उप–धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप–धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यंन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 के कि.मी. 4.200 से कि.मी. 20.900 (अहमदाबाद–गुजरात/एम.पी. सरहद सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	ब्लोक/सर्वे संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
				मुल ब्लोक/ सर्वे संख्या	पैकी संख्या				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	अहमदाबाद	दासक्रोई	कुहा	1153 पैकी	-	निजी	कृषि	00-09-35	गोविंदभाई जगमालभाई अमृतभाई जगमालभाई हिराभाई जगमालभाई जडीबेन ते जगमालभाई माधाभाई की विधवा जबुबेन जगमालभाई मणीबेन जगमालभाई लीलाबेन जगमालभाई लासीबेन जगमालभाई
				1156 A	-	निजी	कृषि	00-23-92	गोविंदभाई जगमालभाई अमृतभाई जगमालभाई हिराभाई जगमालभाई जडीबेन ते जगमालभाई माधाभाई की विधवा जबुबेन जगमालभाई मणीबेन जगमालभाई लीलाबेन जगमालभाई लासीबेन जगमालभाई

[फा. सं. भाराराप्रा/बीओटी–गोधरा/रा.रा. 59]

माया प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2014

S.O. 806(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number **S.O. 3470(E), dated 22nd November 2013,** published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the public purpose of building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 59 on the stretch of land from **km. 4.200 to km. 20.900 (Ahmedabad - Gujarat /MP Border Section)** in District **Ahmedabad** in the State of Gujarat.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Sandesh" and "The Indian Express" News papers, both dated 14th December, 2013 under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas, no objection has been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the Land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km. 4.200 to km. 20.900 (Ahmedabad- Gujarat/M.P. Border) on the National Highway No. 59 in the State of Gujarat

Serial Number	Name of the District	Name of Taluka	Name of Village	Block/ Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of the Land Owner/Interested Persons
				Original Block/ Survey Number	Paiki Number				
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**
1.	Ahmedabad	Daskroi	Kuha	1153 Paiki	-	Private	Agricultural	00-09-35	Govindbhai Jagmalbhai Amrutbhai Jagmalbhai Hirabhai Jagmalbhai Jadiben Widow of Jagmalbhai Madhabhai Jabuben Jagmalbhai Maniben Jagmalbhai Lilaben Jagmalbhai Lasiben Jagmalbhai
				1156 A	-	Private	Agricultural	00-23-92	Govindbhai Jagmalbhai Amrutbhai Jagmalbhai Hirabhai Jagmalbhai Jadiben Widow of Jagmalbhai Madhabhai Jabuben Jagmalbhai Maniben Jagmalbhai Lilaben Jagmalbhai Lasiben Jagmalbhai

[F.No. NHAI/BOT-Godhra/NH-59]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.